रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2016/वैशाख 28, 1938
No. 355] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2016/VAISAKHA 28, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2016

सा.का.नि. 530(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (9) के साथ पठित उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्ररूप नियम प्रकाशित करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित है, जिससे संभवत: प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए है, और एतद्वारा यह नोटिस दी जाती है कि उक्त प्ररूप नियमों को उस तारीख जिसको भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना की यथा प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से पैंतालीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा;

यदि कोई, आपत्तियां अथवा सुझाव हैं तो वह संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्ररूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्ररूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और छूट—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर वाहन (पर्यटन बस परमिट के लिए अखिल भारतीय प्राधिकार) नियम, 2016 है ।

(2) ये संपूर्ण भारत में विस्तार होगा ।

(3) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(4) इन नियमों के अंतर्गत मंजूर किए गए परमिटों पर केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 82 से 85क और मोटर यान (पर्यटन परिवहन के प्रचालकों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 में निर्धारित शर्तें लागू नहीं होंगी ।

2. परिभाषाएं —

(1) इन नियमों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) से अभिप्रेत है;

(ख) "पर्यटन बस परमिट के लिए अखिल भारतीय प्राधिकृति" का तात्पर्य भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में संचालन के लिए पर्यटन बस संचालक को प्राधिकृत करने के लिए परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया परमिट अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "लक्जरी पर्यटन बसों" का तात्पर्य उच्च आराम स्तर और व्यक्तिगत सीटों और समायोज्य सीट बैक, संवर्धित वातायन और मोहक इंटीरियर के लिए डिजाइन की गई बसों से है;

(च) "साधारण पर्यटन बसें" अभिप्रेत है -

(i) मूलभूत न्यूनतम आराम स्तर के लिए डिजाइन की गई बसें हैं; अथवा

(ii) थोड़ा सा ज्यादा उच्च आराम स्तर के लिए डिजाइन की गई बसें हैं और जिनमें श्रम दक्षता की दृष्टि से डिजाइन की गई सीटों के लिए प्रावधान से है;

(छ) "नियम" से केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का नियम अभिप्रेत है;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(झ) "सुपर लक्जरी पर्यटन बसों" से अभिप्रेत हैं, जो डीलक्स बसें जो वातानुकूलित हैं;

(ञ) "पर्यटन बस प्रचालक" का अभिप्रेत है जो ऐसी कंपनी अथवा फर्म अथवा व्यकृति से है जो पर्यटन परिवहन बसें प्रदान करके पर्यटन के प्रोत्साहन में लगा हुआ है;

(ट) "परिवहन प्राधिकरण" से अभिप्रेत है जो उन प्राधिकरणों से है जो अधिनियम के अंतर्गत पर्यटन बस के संबंध में परमिट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हैं;

3. अखिल भारतीय प्राधिकृति परमिट जारी करना—

पर्यटन बस परमिट के लिए अखिल भारतीय प्राधिकार केवल पर्यटन बस प्रचालक को जारी की जाएगी ।

4. अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट का प्ररूप, अंतर्वस्तु, अवधि आदि -

(1) अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित परिवहन प्राधिकरी को प्ररूप 1 में देना होगा ।

(2) प्रत्येक अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट प्ररूप 2 में जारी किया जाएगा और एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(3) अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट इसकी समाप्ति की तारीख से पंद्रह दिन पहले प्ररूप 1 में किए गए आवेदन पर नवीकृत किया जाएगा ।

5. अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी करने के लिए फीस —

अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ साधारण पर्यटन बसों के लिए पचास हजार रु, लक्जरी पर्यटन बसों के लिए पिछत्तर हजार रु. और सुपर लक्जरी पर्यटन बसों के लिए एक लाख रु. की समेकित फीस लगी होगी जिसे भारत के पूरे भू-भाग में संचालन के लिए परमिट जारी करने हेतु अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट लेखा में जमा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम प्रयोजन के लिए "अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट लेखा" का पद से अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित और राजपत्र में अधिसूचित लेखा से है।

6. समेकित अखिल भारतीय प्राधिकृति पर्यटन बस परमिट फीस का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरण —

इन नियमों के नियम 5 में विनिर्दिष्ट समेकित अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट लेखा में संग्रहीत समेकित फीस का राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच वितरण का फार्मूला नीचे दिया गया है:

एसआरएन = एसएसएन x (देश के लिए महीने का वास्तविक राजस्व)

एसआरएन = एनवां राज्य के लिए महीने का वास्तविक राज्य राजस्व

एसएसएन = एनवां राज्य के लिए राज्य हिस्सा

$$= \frac{\text{पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए औसत प्राक्कलित राजस्व}}{\text{पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के लिए देश का औसत प्राक्कलित राजस्व}}$$

टिप्पण: आधार वर्ष पिछले तीन वित्तीय वर्षों और प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के हिस्से का औसत होगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(5) अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट की विधिमान्यता की अवधि किसी भी समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी करने के लिए लागू की जाने वाली प्रक्रिया —

(1) अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट के लिए आवेदन किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित परिवहन प्राधिकारी को दिया जा सकेगा।

(2) परिवहन प्राधिकारी इन नियमों के अधीन अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी करने के लिए दिए गए आवेदन को सामान्यत: इंकार नहीं करेगा।

(3) परिवहन प्राधिकारी उप-नियम (1) के अंतर्गत दिए गए आवेदन को लिखित में दर्ज उचित और पर्याप्त कारणों के लिए रद्द कर सकता है अथवा जहां प्राधिकारी का यह राय है कि इसका धारा 74 की उप-धारा (3) के संदर्भ में सीमित अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट की संख्या को बढ़ाने पर प्रभाव होगा :

परंतु आवेदित अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट परिवहन प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा अथवा इंकार किया जाएगा।

(4) आवेदन ऑनलाइन के संदाय और परमिटों की मंजूरी प्रदान करने को सुकर बनाने के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।

8. परमिट का अंतरण —

(1) उप-नियम (2) में यथा उपबंधित के सिवाए, अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट परिवहन प्राधिकारी जिसने अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी किया है, की अनुमति के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं होगा और ऐसी अनुज्ञा के बिना अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट हस्तांतरित किया जाता है

तो उसके द्वारा आच्छादित किए गए वाहन से किसी व्यक्ति को अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट द्वारा प्राधिकार तरीके में वाहन के उपयोग के लिए कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

(2) जहां अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है वहां वह उत्तराधिकारी जो तीन महीने की अवधि के भीतर अखिल भारतीय प्राधिकृति पर्यटन बस परमिट द्वारा कवर किए गए वाहन का कब्जा लेने वाले उत्तराधिकारी सफल होता है, वह धारक की मृत्यु की तारीख से अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट का उपयोग कर सकता है और अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट का उपयोग करने के लिए अपने स्वयं की आशय रख सकता है :

परंतु इस प्रकार का उपयोग किया गया कोई भी अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट इसके नवीकरण को छोड़कर, दिवंगत धारक के हाथों में प्रभावी नहीं होगा।

(3) परिवहन प्राधिकारी अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट के धारक की मृत्यु के 3 महीने के भीतर किए गए आवेदन पर अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट द्वारा आच्छादित किए गए वाहन का कब्जा लेने वाले उत्तराधिकारी को उक्त प्रमाणपत्र हस्तांतरित करेगा :

परंतु परिवहन प्राधिकारी तीन मासों की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् किए गए आवेदन पर विचार कर सकेगा यदि वह इस बात से समाधान है कि आवदेक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से रोका गया था।

9. **वाहन का प्रतिस्थापन —** अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट का धारक परिवहन प्राधिकारी जिसके द्वारा अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी किया गया था, की अनुज्ञा से उसी प्रकृति के किसी अन्य वाहन द्वारा अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट द्वारा आच्छादित किए गए किसी वाहन को प्रतिस्थापित कर सकता है।

स्पष्टीकरण — इस नियम के प्रयोजन के लिए "उसी प्रकृति का वाहन" का पद सदृश सीटिंग क्षमता वाला वाहन जिसके लिए परमिट मंजूर किया गया था और समेकित फीस संदत्त की गई थी और ऐसा प्रतिस्थापित वाहन किसी भी अन्य मेक अथवा मॉडल का हो सकता है।

10. **अपीलें —** निम्नलिखित द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति -

(क) अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी करने के लिए परिवहन प्राधिकारी की अस्वीकृति अथवा उस द्वारा अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट जारी करने के लिए लगाई गई कोई अन्य शर्त; अथवा

(ख) अखिल भारतीय प्राधिकृति पर्यटन बस परमिट को रद्द करने अथवा निरस्त करने का आदेश अथवा इसकी शर्त में कोई भिन्नता द्वारा; अथवा

(ग) नियम 8 और इन नियमों के अंतर्गत अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट को हस्तांतरित करने का आदेश अथवा अस्वीकृति; अथवा

(घ) अखिल भारतीय प्राधिकृति पर्यटन बस परमिट को नवीकृत करने की अस्वीकृति का आदेश; अथवा

(च) कोई अन्य आदेश जो उसने दिया है,

आवेदक को उक्त आदेश प्रेषित करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 89 की उप-धारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपीली अधिकरण में अपील कर सकता है जो ऐसे व्यक्ति और परिवहन प्राधिकारी को सुनने का अवसर देने के पश्चात्, इस पर निर्णय देगा और यह दोनों पक्षकारों पर बाध्य होगा।

11. **प्राधिकार फीस —** प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फीस प्रतिवर्ष एक हजार रु. होगी और इसको जारी करने अथवा नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ परिवहन प्राधिकारी के पक्ष में उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट लगा होना चाहिए।

12. **सीटिंग क्षमता —** उक्त नियम के उप-नियम (11) से भिन्न, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 128 के उपाबंधों के अध्यधीन, अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट चालक और कंडक्टर को छोड़कर केवल उन बसो जिनकी सीटिंग क्षमता 21 से कम नहीं और 39 से अधिक नहीं, के लिए जारी किए जाएंगे और ये पर्यटन बसों पर लागू होंगे।

13. **पर्यटन बस की आयु —**

अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट, 8 वर्ष पूरा कर लेने पर उस तारीख से अविधिमान्य समझा जाएगा जिसको बस उक्त परमिट द्वारा कवर की गई थी।

स्पष्टीकरण — इस नियम के प्रयोजन के लिए, आठ वर्ष की अवधि की गणना संबंधित पर्यटन बस के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी।

14. **सुभिन्न चिह्न —** इन नियमों के अंतर्गत जारी किए गए 'अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट' के अंतर्गत प्रत्येक बस विषम रंग में वाहन के पीछे 'अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट' शब्द प्रदर्शित करेगी ताकि ये स्पष्ट रूप से दिखें।

15. **पर्यटकों की सूची —**अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट के अंतर्गत चलने वाली पर्यटन बस प्रत्येक यात्रा के संबंध में पर्यटन यात्रियों की सूची हर समय रखेगी और यह सूची अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत की जाएगी।

16. **अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट धारक द्वारा जमा करवाई गई तिमाही रिटर्न —**

प्रत्येक अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट धारक इन नियमों द्वारा कवर की गई बस की बाबत राज्य के परिवहन प्राधिकारी जिसके द्वारा अखिल भारतीय प्राधिकार पर्यटन बस परमिट प्रदान किया गया है, को प्ररूप 3 में तिमाही रिटर्न जमा करवाएगा और उक्त प्राधिकारी बारी-बारी से इनकी प्रतियां अन्य संबंधित राज्यों के समुचित प्राधिकारियों को भेजेगा।

17. **सार्वजनिक उत्सर्जन मानकों का अनुपालन —** पर्यटन बस प्रचालक यात्रा जिसका प्रारंभ और गंतव्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर पड़ता है, के प्रयोजन के लिए किसी वाहन को नहीं रखेगा अथवा उपयोग नहीं करेगा जब तक ऐसे वाहन सार्वजनिक उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करते हैं।

प्ररूप 1

[नियम 4(1) देखें]

पर्यटन बस परमिट के लिए अखिल भारतीय प्राधिकार को जारी करने के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

परिवहन प्राधिकारी

……………………………..

मैं/हम*, अधोहस्ताक्षरी, भारत के पूरे क्षेत्र/………………. राज्य (यहां, लागू राज्यों का नाम लिखें) में वैध अखिल भारतीय प्राधिकृति पर्यटन बस परमिट को जारी करने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

1. आवेदक(आवेदकों) का पूरा नाम (उपनाम, यदि कोई हो, से शुरू होकर)
2. कंपनी अथवा फर्म का नाम ………………………………………………………………………………
3. पिता अथवा पति का नाम (व्यक्ति उपनाम के मामले में)
4. पूरा पता
5. बस का रजिस्ट्रीकरण चिह्न
6. बस का ईंजन नंबर
7. बस का चेसिस नंबर

8. बस का मूल परमिट नंबर

9. बस का परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी

10. बस का मेक

11. बस का रजिस्ट्रीकृत लदा हुआ भार

12. बस का बिना लदा भार

13. बस के विनिर्माण का वर्ष ....

14. बस की सीटिंग क्षमता ....

15. वह अवधि जिसके लिए प्राधिकृति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है ....

.... से .... तक

मैं/हम* वार्षिक समेकित पर्यटन बस परमिट फीस के रूप में सामान्य पर्यटन बस के लिए पचास हजार रु./लक्जरी पर्यटन बस के लिए पिछत्तर हजार रु./सुपर लक्जरी पर्यटन बस* के लिए 1,00,000/-रु. की फीस की अदायगी की रसीद संलग्न कर रहा हूं/रहे हैं।

तारीख............. आवेदक(आवेदकों) अथवा आधिकारिक रबड़ मोहर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

*जो लागू न हों, उसे काट दें।

प्ररूप 2

[नियम 4(2) देखें]

अखिल भारतीय पर्यटन बस प्राधिकार प्रमाणपत्र

यह अखिल भारतीय पर्यटन बस संपूर्ण भारत के क्षेत्र के लिए विधिमान्य है

1. व्यक्ति अथवा कंपनी का पूरा नाम (उपनाम, यदि कोई हो, से शुरू होकर)

2. पूरा पता

3. बस का रजिस्ट्रीकरण चिह्न

4. बस का इंजन नंबर

5. बस का चेसिस नंबर

6. बस का परमिट नंबर

7. बस का परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी

8. बस का मेक

9. बस का रजिस्ट्रीकृत लदा हुआ भार

10. बस का बिना लदा भार

11. बस के विनिर्माण का वर्ष

12. प्राधिकृति प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि …………से ………. तक

(परिवहन प्राधिकारी की मोहर) परिवहन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(______ को)

वार्षिक समेकित पर्यटन बस परमिट फीस की संदाय का प्रमाणपत्र

क्र. सं.	पर्यटन बस का प्रकार	संदत्त की गई धनराशि	बैंक ड्राफ्ट का विवरण और तारीख	संदाय की तारीख	वह अवधि जिसके लिए संदत्त किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

स्थान……………….. परिवहन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

तारीख………………..

प्ररूप 3

[नियम 16 देखें]

अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट धारक द्वारा भरे जाने वाले तिमाही रिटर्न का प्ररूप

1. अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट धारक का नाम और पूरा पता
2. बस का रजिस्ट्रीकरण चिह्न
3. अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट धारक का रजिस्ट्रीकरण नंबर

तिमाही के दौरान की गई यात्राओं का सार

माह	**राज्य* में तय की गई कुल दूरी**	**प्रचालन की कुल दूरी**	**टिप्पणियां**
(क)			
(ख)			
(ग)			

तारीख ………… अखिल भारतीय पर्यटन बस परमिट धारक के हस्ताक्षर

*लागू राज्य का नाम लिखें।

टिप्पणी : टिप्पणी स्तम्भ में, किसी विशेष राज्य अथवा राज्यों में कम अथवा उच्च दूरी तय करने और कोई अन्य कारक जिसकी वजह से कम अथवा उच्च संचालन हुआ, के कारण बताएं।

[सं. आरटी - 19011/1/2011- परिवहन]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2016

G.S.R. 530(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110 001;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title, extent, commencement and exemption. —(1) These rules may be called the Motor Vehicles (All India Authorisation for Tourist Bus Permit) Rules, 2016.

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(4) The conditions prescribed in rules 82 to 85A of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 shall not apply to the permits granted under these rules.

2. **Definitions. —** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988(59 of1988);

(b) "All India Authorization for Tourist Bus Permit" means a permit issued by transport authorities to a tourist bus operator authorising him to operate throughout the territory of India;

(c) "Form" means a Form specified in these rules;

(d) "luxury tourist buses" means the buses designed for a high comfort level and individual seats and adjustable seat backs , improved ventilation and pleasing interiors;

(e) "ordinary tourist buses" means-

(i) buses designed for basic minimum comfort level; or

(ii) buses designed for a slightly higher comfort level and with provision for ergonomically designed seats;

(f) "rule" means the rule of the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

(g) "section" means section of the Act;

(h) "super luxury tourist buses" means Deluxe Buses which are air conditioned;

(i) "Tourist Bus Operator" means a company or firm or an individual engaged in a business of promotion of tourism by providing tourist transport buses;

(j) "transport authorities" means the authorities which are authorised under the Act to grant a permit in respect of a tourist bus;

3. **Issue of All India Authorisation Permit.—**The All India Authorization for Tourist Bus Permit shall be issued only to a tourist bus operator.

4. **Form, contents, duration etc. of the All India Authorization Tourist Bus Permit.-**(1) Every application for the issue of an All India Authorization Tourist Bus Permit shall be made to the concerned Transport Authorities in Form 1.

(2) Every All India Authorization Tourist Bus Permit shall be issued in Form 2 and shall be valid for a period of one year.

(3) The All India Authorization Tourist Bus Permit may be renewed on an application made in Form 1 not less than fifteen days before the date of its expiry.

5. **Fee for issue of All India Authorization Tourist Bus Permit. —**Every application for the issue of an All India Authorization Tourist Bus Permit shall be accompanied with a consolidated fee of rupees fifty thousand for ordinary tourist buses, seventy-five thousand rupees for luxury tourist buses and one lakh rupees for super luxury tourist buses, to be deposited in the All India Authorization Tourist Bus Permit account for issue of a permit to operate throughout the territory of India.

Explanation: For the purpose of this rule, the expression "All India Authorization Tourist Bus Permit account" means an account to be maintained by the Central Government and notified in the Official Gazette.

6. **Distribution of consolidated All India Authorisation Tourist Bus Permit fee among States and Union Territories. —**The distribution of consolidated fee, collected in the All India Authorisation Tourist Bus Permit account specified in rule 5 of these rules, among the States and Union territories shall be as per the formula given below:

$$SRn = SSn \times (\text{Actual revenue of month for the country})$$

SR_n = Actual State Revenue for the month for nth State

SS_n = State share of nth State

$$= \frac{\text{Average estimated revenue for each State for preceding three financial years}}{\text{Average estimated revenue of the country for preceding three financial years}}$$

Note: The base year shall be the average of the last three financial years and the share of each State and Union Territory shall be notified by the Central Government from time to time.

(5) The period of validity of an All India Authorization Tourist Bus Permit shall not exceed one year at a time.

7. **Procedure of applying for issue of All India Authorization Tourist Bus Permit.—**(1) An application for an All India Authorization Tourist Bus Permit may be made on any working day to the transport authorities concerned.

(2) The transport authorities shall not ordinarily refuse to issue an All India Authorization Tourist Bus Permit applied for under these rules.

(3) The transport authorities may reject the application made under sub-rule (1) for good and sufficient reasons to be recorded in writing, or where the authorities is of the opinion that this would have the effect of increasing the number of All India Authorization Tourist Bus Permits limited in terms of sub-section (3) of section 74:

Provided that the All India Authorization Tourist Bus Permit applied for shall be issued or refused within a period of thirty days from the date of receipt of application by the transport authorities.

(4) A web based system shall be developed to facilitate the application online payment and grant of permits.

8. **Transfer of Permit.—** (1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), an All India Authorization Tourist Bus Permit shall not be transferable from one person to another except with the permission of the transport authorities which issued the All India Authorization Tourist Bus Permit and shall not, without such permission, confer on any person to whom a vehicle covered by the All India Authorization Tourist Bus Permit is transferred, any right to use that vehicle in the manner authorised by the All India Authorization Tourist Bus Permit.

(2) Where the holder of an All India Authorization Tourist Bus Permit dies, the person succeeding to the possession of the vehicles covered by the All India Authorization Tourist Bus Permit may, for a

period of three months, use the All India Authorization Tourist Bus Permit from the date of death of the holder and on his own intention to use the All India Authorization Tourist Bus Permit:

Provided that no All India Authorization Tourist Bus Permit shall be so used, except after its renewal, after the date on which it shall have ceased to be effective in the hands of the deceased holder.

(3) The transport authorities may, on an application made to it within three months of the death of the holder of the All India Authorization Tourist Bus Permit, transfer that said certificate to the person succeeding to the possession of the vehicle covered by the All India Authorization Tourist Bus Permit:

Provided that the Transport Authorities may entertain an application made after the expiry of the said period of three months, if it is satisfied that the applicant was prevented from making an application within the specified time.

9. **Replacement of vehicle.—**The holder of an All India Authorization Tourist Bus Permit may, with the permission of the transport authorities by which the All India Authorization Tourist Bus Permit was issued, replace any vehicle covered by the All India Authorization Tourist Bus Permit by any other vehicle of the same nature.

Explanation.— For the purpose of this rule, the expression "the vehicle of same nature" means having the same seating capacity for which permit has been granted and composite fee paid and such a replacement vehicle could be of any other make or model.

10. **Appeals.—** Any person aggrieved by-(a) the refusal of the transport authorities to issue an All India Authorization Tourist Bus Permit or by any condition attached to an All India Authorization Tourist Bus Permit issued by him; or

(b) the order of revocation or suspension of the All India Authorization Tourist Bus Permit or by any variation of the condition thereof; or

(c) the order or refusal to transfer the All India Authorization Tourist Bus Permit under rule 8 of these rules; or

(d) the order of refusal to renew an All India Authorization Tourist Bus Permit: or

(e) any other order which may be made,

may within a period of thirty days from the date on which the said order is communicated to the applicant, appeal to the State Transport Appellate Tribunal constituted under sub-section (2) of section 89 of the Act, who shall, after giving such person and the transport authorities an opportunity of being heard, give a decision thereon and it shall be binding on the parties.

11. **Authorisation Fee.—** The fee for the issue of an authorisation certificate shall be one thousand rupees per annum and every application for the issue or renewal of the same shall be accompanied by a bank draft for the said amount in favour of the transport authorities.

12. **Seating capacity.—** Subject to the provisions of rule 128 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, other than sub-rule (11) of the said rules, an All India Tourist Bus Permit shall be issued only in respect of buses with a seating capacity of not less than twenty one and not more than thirty nine, excluding the driver and the conductor shall also apply to the tourist buses.

13. **Age of the Tourist Buses.—**An All India Tourist Bus Permit shall be deemed to be invalid from the date on which the bus covered by the said permit completes eight years.

***Explanation*.—**For the purpose of this rule, the period of eight years shall be computed from the date of initial registration of the tourist bus concerned.

14. **Distinguishing mark. —** Every bus under the All India Authorization Tourist Bus Permit issued under these rules shall exhibit the words 'All India Tourist Bus Permit' on the back of the vehicle in contrasting colour, so as to be clearly visible.

15. **List of Tourists.—** A Tourist Bus plying under an All India Tourist Bus Permit shall at all times carry a list of tourist-passengers in respect of each trip, and the list shall be produced on demand by the offi-

cers authorised to demand production of documents by or under the Act or the Rules made there under.

16. **Quarterly Returns to be filed by an All India Tourist Bus Permit Holder.—**An All India Tourist Bus Permit holder shall file a quarterly return, in respect of the bus covered by these rules, in Form 3 to the transport authorities of the State by which the All India Authorization Tourist Bus Permit is granted and the said authorities, in turn, shall forward copies thereof to the appropriate authorities of other States concerned.

17. **Conformity to mass emission standards. —** The Tourist Bus Operator shall not engage or use any vehicle for the purpose of journey, the origin and destination of which falls within the National Capital Region, unless such vehicle conforms to the prescribed mass emission standards.

Form 1

[Refer rule 4(1)]

FORM OF APPLICATION FOR ISSUE OF AN ALL INDIA AUTHORIZATION FOR TOURIST BUS PERMIT

To

The Transport Authorities

……………………………..

I/We*, the undersigned, hereby apply for the issue of an All India Authorization Tourist Bus Permit valid throughout the territory of India/in the State of ……………….(Here, write the names of the States applicable).

1. Name of the applicant(s) in full (starting with surname, if any)
2. Name of the company or firm ………………………………………………………………………………
3. Name of father or husband (in the case of an individual)
4. Complete address
5. Registration mark of the bus
6. Engine number of the bus
7. Chassis number of the bus
8. Original permit number of the bus
9. Permit issuing authorities of the bus
10. Make of the bus
11. Registered laden weight of the bus
12. Unladen weight of the bus
13. Year of manufacture of the bus………….
14. Seating capacity of bus………………
15. Period for which the authorization certificate is applied for …………….

    From ………………to……………..

I/We* enclose the receipt towards payment of fee of Rs. 50,000/- for ordinary tourist buses / Rs. 75,000/ for luxury tourist bus / Rs. 1,00,000/- for super luxury tourist bus* as Annual Consolidated Tourist Bus Permit fee.

Date…………..

Signature or thumb impression of applicant(s) or of the authorized signatory with official rubber stamp.

*Strike out whichever is not applicable.

Form 2

[Refer rule 4(2)]

ALL INDIA TOURIST BUS AUTHORIZATION CERTIFICATE

This All India Tourist Bus Authorization Certificate is valid throughout the territory of India

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any)
2. Complete Address
3. Registration mark of the bus
4. Engine number of the bus
5. Chassis number of the bus
6. Permit number of the bus
7. Name of the permit issuing authorities
8. Make of the bus
9. Registered laden weight of the bus
10. Unladen weight of the bus
11. Year of manufacture of the bus
12. Period of validity of the authorization certificate From…………to……….

(Seal of the transport authorities) Signature of the transport authorities

(on the ______)

Certificate of payment of Annual consolidated Tourist bus permit fee

Sl. No.	Type of Tourist Bus	Amount paid	Particulars of bank draft and date	Date of payment	Period for which paid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

Place……………….. Signature and seal of the transport authorities

Date………………..

Form 3

[Refer rule 16]

Form of Quarterly Returns to be filed by an All India Tourist Bus Permit Holder

1. Name and complete address of the All India Tourist Bus Permit Holder
2. Registration mark of the bus
3. Registration number of All India Tourist Bus Permit Holder

Summary of trips made during the quarter

Month	**Total distance covered in the State of***	**Total distance of operation**	**Remarks**
(a)			
(b)			
(c)			

Date ………… Signature of the All India Tourist Bus Permit Holder

*Mention the name of the State applicable

Note **:** In the remarks column, state reasons for low or high running in any particular State or States and any other factors which caused low or high operation.

[No. RT-19011/1/2011-T]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.